मेरी सेवानिवृति (Retirement) की तिथि 31-01-2025 (मात्र एक महीना 10 दिन) है। वित्त विभाग के पत्र ज्ञापांक 12753 दिनांक 26.11.1970 में निहित प्रावधानों के आलोक में निलम्बनमुक्त किया जाना (सेवानिवृति से पहले) अनिवार्य है।

अत: भवदीय से विनम्र निवेदन है कि मेरा अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सा० प्र० वि० के पत्र में निहित प्रावधान के आलोक में मुझे अविलंब निलम्बन मुक्त करने की कृपा की जाए।

ससम्मान

विश्वासभाजन

19/12/2024

(अरविन्द कुमार)

निलम्बित कार्य० अभि०

प० नि० वि०, बिहार, पटना

पत्रांक शून्य दिनांक 19-12-2024

प्रेषक :- अरविन्द कुमार
निलम्बित कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- विगत पाँच वर्षों से (18.11.2019) निलम्बित रहने के सम्बंध में।

प्रसंग :- मेरा अभ्यावेदन दिनांक 11.08.2021, दिनांक 16-02-2024 एवं दिनांक 06-06-2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में अनुरोधपूर्वक कहना है कि मेरे द्वारा लिखे गए उपरोक्त पत्रों का अवलोकन करने की कृपा की जाए। मैं पाँच वर्षों से निलम्बित हूँ। मेरी आर्थिक एवं मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। सा० प्र० वि० के पत्रांक, परिपत्र, आदेश सं० 17796 एवं 21590 का अवलोकन करने की कृपा की जाए। सभी विभागों ने एक वर्ष / दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित कर्मचारियों / पदाधिकारियों को निलम्बन मुक्त, सा० प्र० वि० के पत्र के आलोक में, कर दिया है।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए) आई० डी० सं०– 16/25-26

कम्प्यूटरीकृत आवक पंजीयन संख्या 393958 / ...
दिनांक 09.04.2025

सेवा में,
लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय)
पथ निर्माण विभाग
बिहार पटना

1. आवेदक का नाम .... रविन्द्र कुमार
2. पूरा पता .... 308, हरियाणा [illegible] [illegible] पटना 14
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

मेरा पत्रांक शून्य दिनांक 06/06/2024 जो सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना को संबोधित है तथा विभाग में दिनांक 07/06/2024 को प्राप्त कराया गया है उसके आलोक में की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए, उसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने .... रुपये (शब्दों में) ....
.... तिथि .... को रसीद सं० ....
.... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

7/6/2020
स० ओ०
09/4/25

(2) मैं ~~डिमान्ड ड्राफ्ट~~/भुगतानादेश सं० पो० पत्रम ऑर्डर 505523 .... दिनांक 19.12.24
जो लो० सू० प० .... पदाधिकारी के पक्ष में .... [illegible] .... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने .... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सबंद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :
308, हरियाणा [illegible]
[illegible] पटना 14
....

आवेदक का हस्ताक्षर 03/04/2025
ई-मेल पता, अगर कोई हो;
दूरभाष संख्या

स्थान : पटना तिथि : 03/04/2025

नोट :-गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

12

प्रपत्र 'ज'

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्याः—**लो.सू.को. / आई०डी०सं०—16 / 25—26** **पटना, दिनांक—**15/4/25

Komal (15-04-2025)

प्रेषकः 2333 (E)

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—13 / 14,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री अरविन्द कुमार का सूचना आवेदन दिनांक—03.04.2025 जो इस विभाग में दिनांक—09.04.2025 को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०—16 / 25—26)** इसके साथ संलग्न किया जाता है :—

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा—**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र—'क' को आपके क्षेत्राधिकार / प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा—**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र—'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के आलोक में वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Komal 15/4/25

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक—2333 (E)

दिनांक—15/4/25

प्रतिलिपिः **उप सचिव (निगरानी), प्रभारी प्रशाखा—13 / 14,** पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Komal 15/4/25

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत 6
पंजीयन सं०..........
....
दिनांक-..........

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2024\praptra.-Ja.docx

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या–निग/सारा–04(पथ) सूचना–22/2025 पटना, दिनांक 09/05/25

2950 (E)

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी–14
–सह–सहायक लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आवेदक श्री अरविन्द कुमार द्वारा माँगी गयी सूचना के संबंध में (आई0डी0सं0–16/25–26)।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–लो0सू0को0/आई0डी0सं0–16/25–26–2333 (ई०) अनु० दिनांक–15.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आवेदक श्री अरविन्द कुमार का सूचना आवेदन दिनांक–03.04.2025 (आई0डी0सं0–16/25–26) के द्वारा याचित सूचना निम्नवत् है :–

याचित सूचना	सूचना का विवरण
1. मेरा पत्रांक–शून्य दिनांक–06.06.2024 जो सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को संबोधित है तथा विभाग में दिनांक–07.06.2024 को प्राप्त कराया गया है, अद्यतन की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए, इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	1. श्री कुमार द्वारा याचित सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के नियम–8 (1) (ज) के अतंर्गत देय नहीं है।

विश्वासभाजन

09.05.25

प्रशाखा पदाधिकारी–14
–सह–सहायक लोक सूचना पदाधिकारी

883
13/05/25

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–16/25–26** **पटना, दिनांक–**14/5/25

3009(E)

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार,
फ्लैट नं०–308, हरिचरण रेसीडेन्सी,
नन्दनपुरी खाजपुरा,
पटना–800014

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक–03.04.2025 जो इस विभाग में दिनांक–09.04. 2025, को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–16/25–26)** में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :–

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 (निगरानी)**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2950 (E) दिनांक–09.05.2025 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–3009(E)
पटना, दिनांक–14/5/25

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 (निगरानी) पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०........................
....
दिनांक–........................